



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-04062026-273148  
CG-CG-E-04062026-273148

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2764]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 2764]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 4 जून, 2026

का.आ. 2858(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 37क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसरंचना उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में उल्लेखित परियोजना को अधिसूचित करती है, जो की सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

सारणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1	धरमजयगढ़ – पत्थलगाँव – लोहरदगा के बीच नई लाईन (291.881 कि. मी.)

[फा. सं. डीसीई/सी-I/बीएसपी/नई लाईन/ धरमजयगढ़ – लोहरदगा /37ए]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 4th June, 2026

**S.O. 2858(E).**— In exercise of powers conferred by clause 37A of section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies the project as mentioned in column (2) of the Table below as Special Railway Project in the State of Chhattisgarh and Jharkhand for providing national infrastructure for a public purpose with effect from date of publication of this notification in official gazette.

**TABLE**

<b>Serial Number</b>	<b>Name of Project</b>
(1)	(2)
1.	New line between Dharamjaigarh – Pathalgaon - Lohardaga (291.881 Km)

[F. No. DCE/C/I/BSP/New line/Dharamjaigarh - Lohardaga/37A]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con.)